रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 1975/फाल्गुन 30, 1896
No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 1975/PHALGUNA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st March 1975

S.O. 151(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development S.O. 426(E)/18AA/IDRA/74, dated the 8th July, 1974, the management of the Chemical Unit of the Industrial undertaking known as M/s. Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur, thereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under Clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 7th of July, 1979;

And, whereas, the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the chemical industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in foce immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. 25/9/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1975

का० आ० 151 (अ)/18 चख/आई० डी० आर० ए०/75.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 426 (ई)/18 कक/आई डी आर ए/74—तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा, मैसर्स ऐसोसिएटिड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम के रासायनिक एकक का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, 7 जुलाई, 1979 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग, अर्थात् रसायन उद्योग, उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह घोषित करती है कि इस आदेश के निकाले जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरणपत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, चार्टों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हों), जिनमें कि उक्त औद्योगिक उपक्रम या वह कम्पनी जो ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखती है, पक्षकार है अथवा जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू किए जा सकते हैं, का प्रवर्तन एक वर्ष के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रादुर्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

[सं० 25/9/72-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975